न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, हमीरगढ़ जिला भीलवाडा राज.

पीठासीन अधिकारीः— झंवर लाल (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या : 27/2024

उनवान

1. सम्पत जाट पुत्र श्री देबी लाल जाट आयु वयस्क निवासी राजोला तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज.)

——— वादी

बनाम

1. देबी लाल पुत्र श्री किशोर जाट आयु वयस्क निवासी— राजोला तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाडा (राज.)
2. गोपाल पुत्र श्री देबी लाल जाट आयु वयस्क निवासी— राजोला तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाडा (राज.)
3. मगना दत्तक पुत्र श्री छीतर जाट आयु वयस्क निवासी— राजोला तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाडा (राज.)
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, हमीरगढ़ जिला भीलवाडा (राज.)
5. उपपंजीयक महोदय, पंजीयन कार्यालय, हमीरगढ़ जिला भीलवाडा (राज.)
6. आई.सी.आई.सी.आई बैंक लि. शाखा पुर तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज.) जरिये शाखा प्रबंधक

———प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 92क, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :::— श्री कैलाश चन्द्र आचार्य ———अधिक्ता वादी
राज्य पक्ष की ओर से तहसीलदार हमीरगढ़
श्री प्रवीण चौरडिया ———अधिक्ता प्रतिवादी संख्या 06

अनुपस्थित :— प्रतिवादी संख्या 01 से 03

निर्णय

दिनांक : 05—05—2026

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी ने एक नियमित वाद पत्र बाबत खातेदारी अधिकारों की घोषणा, इंद्राज दुरूस्तीकरण एवं स्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादीगण का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 02, प्रतिवादी संख्या 01 के पुत्र होकर स्वर्गीय हीरा जी जाट के वंशज एवं प्रथम श्रेणी के वैधानिक उत्तराधिकारी हैं। वादी का परिवार ग्राम राजोला, पटवार हल्का देवली, भू—अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बरडौद, तहसील हमीरगढ़, जिला भीलवाड़ा (राजस्थान) का मूल निवासी है। विवादित कृषि भूमि पैतृक एवं संयुक्त हिन्दू परिवार की संपत्ति है, जो पूर्व में वादी के परदादा स्वर्गीय हीरा जी जाट के नाम राजस्व अभिलेखों एवं जमाबंदी रिकॉर्ड में दर्ज थी तथा बाद में विरासत के आधार पर प्रतिवादी संख्या 01 के नाम दर्ज हो गई। उक्त भूमि में खाता संख्या 66 की आराजी नम्बर 131, 193/1, 196/1, 207/1, 209/2, 210/1, 211/1 एवं 395/1 कुल रकबा 2.6555 हैक्टेयर तथा खाता संख्या 140 की

आराजी नम्बर 208 एवं 209 कुल रकबा 0.1011 हैक्टेयर सम्मिलित हैं। यह सम्पूर्ण भूमि पैतृक संपत्ति होने से वादी, प्रतिवादी संख्या 01 एवं प्रतिवादी संख्या 02 का जन्मसिद्ध अधिकार उसमें निहित है तथा सभी पक्षकार लंबे समय से उक्त भूमि पर संयुक्त रूप से काविज होकर खेती–बाड़ी एवं उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हैं। वादपत्र में वर्णित खाता संख्या 66 की भूमि में वादी, प्रतिवादी संख्या 01 तथा प्रतिवादी संख्या 02 का समान 1/3–1/3 हिस्सा निहित है, जबकि खाता संख्या 140 की भूमि में वादी, प्रतिवादी संख्या 01 एवं प्रतिवादी संख्या 02 का प्रत्येक का 1/6 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 03 का 1/2 हिस्सा निहित है। वादी का उक्त पैतृक संपत्ति में जन्म से वैधानिक हक, हित एवं स्वामित्व अधिकार है तथा वह अपने हिस्से के अनुसार मौके पर कब्जाधारी एवं खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है। वादी लगातार उक्त भूमि पर कृषि कार्य करता रहा है तथा भूमि से प्राप्त उपज एवं आय में उसका वैधानिक हिस्सा रहा है। इसके बावजूद राजस्व रिकॉर्ड में केवल प्रतिवादी संख्या 01 का नाम दर्ज होने के कारण वादी के अधिकारों की अनदेखी की जा रही है। प्रतिवादी संख्या 01 जानबूझकर वादी का नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज नहीं होने दे रहा है, जबकि कानूनन वादी अपने हिस्से के अनुसार नामांतरण एवं खातेदार काश्तकार घोषित होने का पूर्ण अधिकारी है। प्रतिवादी संख्या 01, जो कि वादी का पिता है, प्रतिवादी संख्या 02 के प्रभाव एवं बहकावे में आकर दुर्भावनावश विवादित पैतृक भूमि को वादी के वैधानिक हिस्से से वंचित करने की नीयत से बेचने, हस्तांतरित करने अथवा खुर्द–बुर्द करने का प्रयास कर रहा है। प्रतिवादीगण बाहरी व्यक्तियों एवं संभावित खरीदारों को भूमि दिखाकर उसे औने–पौने दामों में विक्रय करने तथा मौके पर अवैध निर्माण कराने की कोशिश कर रहे हैं। प्रतिवादी संख्या 01 यह जानते हुए भी कि उक्त भूमि संयुक्त एवं अविभाजित पैतृक संपत्ति है, स्वयं को एकमात्र मालिक बताकर भूमि का सौदा करने का प्रयास कर रहा है। प्रतिवादी संख्या 01 को किसी प्रकार की आर्थिक आवश्यकता नहीं है तथा परिवार के भरण–पोषण हेतु भी भूमि बेचने की कोई मजबूरी नहीं है, फिर भी वह दुर्भावनापूर्ण तरीके से वादी को उसके वैध अधिकारों से वंचित करना चाहता है। प्रतिवादीगण की नीयत भूमि को बेचकर वादी के हिस्से को समाप्त करने एवं भविष्य में उसे स्थायी रूप से बेदखल करने की है। दिनांक 25 जून 2024 को प्रतिवादी संख्या 01 एवं 02 कुछ अज्ञात व्यक्तियों को साथ लेकर विवादित भूमि पर पहुंचे तथा वादी को उसके हिस्से से बेदखल करने, भूमि पर कब्जा करने एवं अवैध निर्माण करने की धमकी दी। उस समय प्रतिवादीगण ने वादी से कहा कि भूमि राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादी संख्या 01 के नाम दर्ज है, इसलिए वे भूमि को किसी भी व्यक्ति को बेच सकते हैं तथा वादी का उसमें कोई अधिकार नहीं है। वादी द्वारा विरोध करने एवं भूमि को पैतृक संपत्ति बताते हुए अपना हिस्सा जताने पर भी प्रतिवादीगण नहीं माने और वादी को जबरन हटाने का प्रयास

किया। प्रतिवादीगण की उक्त हरकतों से वादी को यह स्पष्ट एवं वास्तविक आशंका उत्पन्न हो गई कि वे उसे जबरन बेदखल कर भूमि को किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में विक्रय, रहन, बंधक अथवा हस्तांतरित कर सकते हैं। यदि ऐसा हुआ तो वादी को अपूरणीय क्षति होगी जिसकी भरपाई किसी भी प्रकार की धनराशि से संभव नहीं होगी तथा वादी अपने पैतृक अधिकारों से स्थायी रूप से वंचित हो जाएगा। वादी का यह भी कहना है विवादित भूमि पैतृक एवं संयुक्त हिन्दू परिवार की संपत्ति होने के कारण उसमें उसका जन्मसिद्ध हिस्सा सुरक्षित है तथा बिना विधिक बंटवारे एवं सभी सहखातेदारों की सहमति के प्रतिवादीगण सम्पूर्ण भूमि पर एकाधिकार स्थापित नहीं कर सकते। कानून के अनुसार कोई भी सहखातेदार संयुक्त संपत्ति को अन्य सहखातेदारों के अधिकारों की अनदेखी करते हुए विक्रय या हस्तांतरित नहीं कर सकता। प्रतिवादीगण की गतिविधियाँ पूर्णतः अवैध, मनमानी एवं वादी के वैधानिक अधिकारों के विरुद्ध हैं। यदि प्रतिवादीगण को भूमि बेचने, हस्तांतरित करने, कब्जा बदलने अथवा वादी को बेदखल करने से नहीं रोका गया तो वादी स्थायी रूप से अपने वैधानिक अधिकार एवं पैतृक संपत्ति से वंचित हो जाएगा। इसलिए न्यायहित में प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी किया जाना अत्यंत आवश्यक है, ताकि वे वादी को उसके कब्जे एवं उपयोग से वंचित न कर सकें और न ही किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से भूमि में हस्तक्षेप कर सकें।

अतः वादी ने न्यायालय से प्रार्थना की है कि विवादित भूमि को वादी एवं प्रतिवादीगण की पैतृक एवं संयुक्त संपत्ति घोषित करते हुए वादी के हिस्से के अधिकारों की विधिवत घोषणा की जाए तथा वादी को उसके हिस्से के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाए। साथ ही प्रतिवादीगण को स्थायी रूप से इस बात से रोका जाए कि वे वादी को विवादित भूमि से बेदखल करें, भूमि का विक्रय, रहन, बंधक, हस्तांतरण अथवा किसी प्रकार का अवैध निर्माण करें। न्यायालय से यह भी प्रार्थना की गई है कि प्रतिवादीगण को वादी के शांतिपूर्ण कब्जे एवं उपयोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न करने से रोका जाए तथा राजस्व अभिलेखों में वादी का नाम दर्ज कराने हेतु आवश्यक आदेश पारित किए जाएँ।

वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र को दिनांक 08–07–2026 को विधिवत् रूप से न्यायालय के रजिस्टर में दर्ज किया गया। तत्पश्चात् विधिक प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए प्रतिवादीगण को समुचित रूप से सम्मन जारी कर तलब किये गए। सम्मन विधिपूर्वक बाद तामील हुए। परंतु नियत तिथि को सुनवाई के दौरान प्रतिवादी संख्या 01 से 03 अथवा उनके नियुक्त अधिवक्ता गैरहाजिर रहने के कारण न्यायालय द्वारा उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही की आज्ञा पारित की गई। प्रतिवादी संख्या 06 की ओर से नियुक्त अधिवक्ता द्वारा विहित समयावधि में जवाब पेश नही कर पाने से उनका जवाब प्रस्तुति का अवसर समाप्त किया गया।

प्रकरण को न्यायिक प्रक्रिया के अनुसार प्रक्रम शहादत्त वादी हेतु नियत किया गया, जिसमें नियत चरण में दावे के समर्थन में गवाहों के शपथपत्रों तथा संलग्न राजस्व अभिलेखों पर लाल स्याही से आवश्यक अंकन कराया गया। तत्पश्चात वादी के नियुक्त विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान अपने अभिवचनों के माध्यम से वादपत्र की समस्त कलमों को दोहराते हुए वादपत्र के मंजूर किए जाने का अनुरोध प्रस्तुत किया।

वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र, शपथपत्र, दस्तावेजी साक्ष्य, मौखिक साक्ष्य एवं न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत समस्त अभिलेखों का सूक्ष्म परीक्षण एवं विधिक विश्लेषण करने पर यह तथ्य पूर्णतः प्रमाणित एवं स्थापित होता है कि वादपत्र की चरण संख्या 02 में वर्णित सरहद राजोला, पटवार हल्का देवली, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बरडौद, तहसील हमीरगढ़, जिला भीलवाड़ा स्थित आराजियात मूलतः वादी के परदादा स्वर्गीय हीरा जी जाट की पैतृक एवं संयुक्त हिन्दू परिवार की संपत्ति रही है। वादी ने अपने दावे के समर्थन में साबिक जमाबंदी प्रतिलिपियाँ, वर्तमान जमाबंदी नकल, नामांतरण आदेश, खसरा गिरदावरी, नक्शा तरमीम, वंशावली, राजस्व रिकॉर्ड की प्रमाणित प्रतिलिपियाँ न्यायालय में प्रस्तुत किये हैं। इन दस्तावेजों से यह स्पष्ट रूप से सिद्ध होता है कि उक्त भूमि पीढ़ी दर पीढ़ी विरासत के माध्यम से चली आ रही है तथा प्रतिवादी संख्या 01 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में प्रविष्टि मात्र प्रशासनिक एवं राजस्व प्रयोजन हेतु हुई है, जिससे भूमि का पैतृक स्वरूप समाप्त नहीं होता। वादी ने अपने शपथपत्र में यह स्पष्ट कथन किया कि वह जन्म से ही उक्त संपत्ति में सहभाजक है तथा बचपन से ही अपने पिता एवं परिवार के अन्य सदस्यों के साथ उक्त भूमि पर कृषि कार्य करता आया है। वादी ने अपने शपथपत्र एवं मौखिक कथनों में यह पुष्टि की कि वादी का भूमि पर वास्तविक कब्जा एवं उपयोग विद्यमान है तथा भूमि सदैव संयुक्त पारिवारिक संपत्ति के रूप में प्रयुक्त होती रही है। प्रतिवादीगण द्वारा इन दस्तावेजों एवं गवाहों का प्रतिखण्डन नहीं किया गया तथा न ही कोई स्वतंत्र दस्तावेज प्रस्तुत किया गया जिससे यह सिद्ध हो सके कि भूमि स्वअर्जित अथवा व्यक्तिगत संपत्ति है। अतः न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि वादी का दावा तथ्यात्मक एवं विधिक दृष्टि से पूर्णतः विश्वसनीय एवं प्रमाणित है।

न्यायालय द्वारा समस्त अभिलेखों, दस्तावेजों एवं साक्ष्यों का समग्र परीक्षण करने पर यह तथ्य भी स्थापित होता है कि वादपत्र में वर्णित खाता संख्या 66 की आराजियात में वादी, प्रतिवादी संख्या 01 एवं प्रतिवादी संख्या 02 का समान रूप से 1/3–1/3 हिस्सा निहित है तथा खाता संख्या 140 की आराजियात में वादी, प्रतिवादी संख्या 01 एवं प्रतिवादी संख्या 02 का 1/6–1/6 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 03 का 1/2 हिस्सा निहित है। न्यायालय यह मानता है कि हिन्दू संयुक्त परिवार की पैतृक संपत्ति में पुत्र का अधिकार जन्म से उत्पन्न होता है तथा ऐसा अधिकार किसी एक सदस्य द्वारा एकपक्षीय रूप से समाप्त नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने राजस्थान

काश्तकारी अधिनियम एवं स्थापित न्यायिक दृष्टांतों का अवलोकन करते हुए यह पाया कि सहखातेदार की सहमति के बिना पैतृक संपत्ति का विक्रय अथवा हस्तांतरण विधिसम्मत नहीं माना जा सकता। वादी ने अपने कथनों में यह भी कहा कि प्रतिवादी संख्या 01 कई अवसरों पर बाहरी व्यक्तियों को भूमि दिखाकर विक्रय की बातचीत करता पाया गया तथा उसने वादी को उसके हिस्से से वंचित करने की धमकी भी दी। न्यायालय ने यह भी पाया कि प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा भूमि को रहन रखने एवं विक्रय करने के प्रयासों के संबंध में ग्राम स्तर पर विवाद उत्पन्न हुआ था, जिसकी जानकारी स्थानीय पटवारी एवं ग्राम पंचायत को भी दी गई थी। प्रतिवादी पक्ष इन तथ्यों का खण्डन करने में पूर्णतः असफल रहा। अतः न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि प्रतिवादीगण की गतिविधियाँ वादी के वैधानिक एवं पैतृक अधिकारों के प्रतिकूल हैं तथा यदि समय रहते न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करता तो वादी को गंभीर एवं अपूरणीय क्षति पहुँच सकती है। न्यायालय ने वादी द्वारा प्रस्तुत स्थायी निषेधाज्ञा संबंधी प्रार्थना पर गंभीरता एवं संवेदनशीलता के साथ विचार किया। अभिलेखों एवं गवाह के कथनों से यह तथ्य प्रमाणित है कि दिनांक 25.06.2024 को प्रतिवादी संख्या 01 एवं 02 कुछ अज्ञात व्यक्तियों के साथ वादग्रस्त भूमि पर पहुंचे तथा वादी को जबरन बेदखल करने, भूमि पर अवैध निर्माण करने एवं भूमि को विक्रय करने की धमकी दी। वादी द्वारा प्रस्तुत शपथपत्र एवं गवाह के कथन परस्पर संगत, स्वाभाविक एवं विश्वसनीय पाए गए। न्यायालय ने यह भी पाया कि वादी वर्तमान में भूमि के संयुक्त कब्जे एवं उपयोग में है तथा वह नियमित रूप से कृषि कार्य कर रहा है। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत खसरा गिरदावरी एवं कृषि रिकॉर्ड से यह भी सिद्ध होता है कि भूमि पर खेती का कार्य संयुक्त रूप से किया जाता रहा है। न्यायालय यह मानता है कि यदि प्रतिवादीगण को भूमि के हस्तांतरण, कब्जे में हस्तक्षेप अथवा निर्माण कार्य से नहीं रोका गया तो वादी को ऐसी अपूरणीय क्षति होगी जिसकी भरपाई धनराशि से संभव नहीं होगी। सुविधा का संतुलन भी स्पष्ट रूप से वादी के पक्ष में है क्योंकि प्रतिवादीगण को रोकने से उन्हें कोई वैधानिक हानि नहीं होगी, जबकि वादी अपने पैतृक अधिकारों से स्थायी रूप से वंचित हो सकता है। न्यायालय यह भी मानता है कि कानून व्यवस्था एवं सामाजिक शांति बनाए रखने हेतु भी स्थायी निषेधाज्ञा आवश्यक है ताकि भविष्य में किसी प्रकार का विवाद, झगड़ा अथवा अवैध कब्जा उत्पन्न न हो। अतः न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि वादी स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का पूर्ण अधिकारी है।

विधि का स्थापित सिद्धांत है कि राजस्व अभिलेख स्वामित्व का अंतिम प्रमाण नहीं होते, बल्कि वे केवल राजस्व प्रशासन एवं कब्जे के उद्देश्य से तैयार किये जाते हैं। न्यायालय ने प्रस्तुत साबिक जमाबंदियों, वंशावली एवं नामांतरण रिकॉर्ड का परीक्षण कर पाया कि भूमि का मूल उद्गम वादी के पूर्वज स्वर्गीय हीरा जी जाट से हुआ है तथा यह संपत्ति निरंतर पैतृक स्वरूप में चली आ रही

है। वादी का जन्मसिद्ध अधिकार विधि द्वारा संरक्षित है तथा उसे केवल इस आधार पर समाप्त नहीं किया जा सकता कि वर्तमान रिकॉर्ड में प्रतिवादी संख्या 01 का नाम अंकित है। न्यायालय ने यह भी पाया कि प्रतिवादी संख्या 06 को भूमि रहनधारी होने के कारण पक्षकार बनाया गया, किन्तु उसके द्वारा ऐसा कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह सिद्ध हो सके कि वादी के अधिकार समाप्त हो चुके हैं अथवा भूमि विधिसम्मत रूप से हस्तांतरित हो चुकी है। परिणामस्वरूप, न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पूर्णतः प्रमाणित एवं स्वीकार योग्य है।

::: आदेश :::

वाद–पत्र बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस प्रकार स्वीकार किया जाता है कि ग्राम राजोला, पटवार हल्का देवली, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बरडौद, तहसील हमीरगढ़, जिला भीलवाड़ा (राजस्थान) स्थित वादपत्र की चरण संख्या 02 में वर्णित खाता संख्या 66 एवं 140 की समस्त वादग्रस्त आराजियात पैतृक एवं संयुक्त हिन्दू परिवार की संपत्ति घोषित की जाती है। खाता संख्या 66 की आराजी नम्बर 131, 193/1, 196/1, 207/1, 209/2, 210/1, 211/1 एवं 395/1 कुल रकबा 2.6555 हैक्टेयर में वादी, प्रतिवादी संख्या 01 एवं प्रतिवादी संख्या 02 का 1/3–1/3 हिस्सा तथा खाता संख्या 140 की आराजी नम्बर 208 एवं 209 कुल रकबा 0.1011 हैक्टेयर में वादी, प्रतिवादी संख्या 01 एवं प्रतिवादी संख्या 02 का 1/6–1/6 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 03 का 1/2 हिस्सा घोषित किया जाता है। वादी को उक्त अनुपात अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने एवं राजस्व अभिलेखों में अपना नाम अंकित कराने का पूर्ण अधिकार प्रदान किया जाता है तथा संबंधित राजस्व अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे विधि अनुसार आवश्यक नामांतरण एवं रिकॉर्ड संशोधन की कार्यवाही करें। प्रतिवादीगण को स्थायी रूप से इस बात हेतु निषिद्ध किया जाता है कि वे वादी को वादग्रस्त भूमि से बेदखल नहीं करेंगे, न ही किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से बेदखल करवाएंगे तथा वादी के शांतिपूर्ण उपयोग एवं उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेंगे। तदनुसार अन्तिम डिक्री तैयार की जाती है। खर्चा फरिकेन अपना–अपना वहन करे।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर से कम की जाकर फैसल शुमार हो। निर्णय आज दिनांक 05–05–2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(झंवर लाल, आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर हमीरगढ़
जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर हमीरगढ़

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, हमीरगढ़ जिला भीलवाडा (राज.)

: : मूल वाद मे अन्तिम डिक्री : :

{आदेश 20 नियम 6, 7 जा0दी0}

पीठासीन अधिकारीः— झंवरलाल मित्तल (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :— 27/2024

उनवान

सम्पत जाट पुत्र श्री देबी लाल जाट आयु वयस्क निवासी राजोला तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज.)

——— वादी

बनाम

1 देबी लाल पुत्र श्री किशोर जाट आयु वयस्क निवासी— राजोला तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाडा (राज.)
2 गोपाल पुत्र श्री देबी लाल जाट आयु वयस्क निवासी— राजोला तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाडा (राज.)
3 मगना दत्तक पुत्र श्री छीतर जाट आयु वयस्क निवासी— राजोला तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाडा (राज.)
4 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, हमीरगढ़ जिला भीलवाडा (राज.)
5 उपपंजीयक महोदय, पंजीयन कार्यालय, हमीरगढ़ जिला भीलवाडा (राज.)
6 आई.सी.आई.सी.आई बैंक लि. शाखा पुर तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज.) जरिये शाखा प्रबंधक

———प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 92क, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :::— श्री कैलाश चन्द्र आचार्य ———अधिक्ता वादी
राज्य पक्ष की ओर से तहसीलदार हमीरगढ़
श्री प्रवीण चौरडिया ———अधिक्ता प्रतिवादी संख्या 06

अनुपस्थित :— प्रतिवादी संख्या 01 से 03

दिनांक : 05—05—2026

वाद—पत्र अन्तिम डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस प्रकार जारी की जाती है कि ग्राम राजोला, पटवार हल्का देवली, भू—अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बरडौद, तहसील हमीरगढ़, जिला भीलवाड़ा (राजस्थान) स्थित वादपत्र की चरण संख्या 02 में वर्णित खाता संख्या 66 एवं 140 की समस्त वादग्रस्त आराजियात पैतृक एवं संयुक्त हिन्दू परिवार की संपत्ति घोषित की जाती है। खाता संख्या 66 की आराजी नम्बर 131, 193/1, 196/1, 207/1, 209/2, 210/1, 211/1 एवं 395/1 कुल रकबा 2.6555 हैक्टेयर में वादी, प्रतिवादी संख्या 01 एवं प्रतिवादी संख्या 02 का 1/3—1/3 हिस्सा तथा खाता संख्या 140 की आराजी नम्बर 208 एवं 209 कुल रकबा 0.1011 हैक्टेयर में वादी, प्रतिवादी संख्या 01 एवं प्रतिवादी संख्या 02 का 1/6—1/6 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 03 का 1/2 हिस्सा घोषित किया जाता है। वादी को उक्त अनुपात अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने एवं राजस्व अभिलेखों में अपना नांम अंकित कराने

बनाम
य

का पूर्ण अधिकार प्रदान किया जाता है तथा संबंधित राजस्व अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे विधि अनुसार आवश्यक नामांतरण एवं रिकॉर्ड संशोधन की कार्यवाही करें। प्रतिवादीगण को स्थायी रूप से इस बात हेतु निषिद्ध किया जाता है कि वे वादी को वादग्रस्त भूमि से बेदखल नहीं करेंगे, न ही किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से बेदखल करवाएंगे तथा वादी के शांतिपूर्ण उपयोग एवं उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेंगे। खर्चा फरिकैन अपना–अपना वहन करे।

आज यह अन्तिम डिक्री दिनांक 05–05–2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी गयी।

(झंवर लाल, आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलेक्टर हमीरगढ़
जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलेक्टर हमीरगढ़